राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–सुश्री महिमा कसाना, आई.ए.एस.

1. राजस्व वाद संख्या– 113/2024
2. सी०सी०एम०एस० संख्या– 2024/183
3. दायर दिनांक–30.8.2024
4. निर्णय दिनांक– 20.11.2024

उनवानी–

1. हरलाल शास्त्री पुत्र प्रेमाराम जाति बलाई नि० ग्राम सिणगारा तह० रूपनगढ़ जिला अजमेर

....प्रार्थी

बनाम

1. रामावतार पुत्र धारूराम जाति बलाई नि० ग्राम सिणगारा तह० रूपनगढ़ जिला अजमेर
2. विमला देवी पत्नि छीतरमल जाति रेगर नि० ग्राम सिणगारा तह० रूपनगढ़ जिला अजमेर
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़, जिला अजमेर

....अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राज० अधिनियम 1956

निर्णय

उपस्थिति– 1. श्री अरविन्द दाधीच वकील प्रार्थी
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की कब्जे काश्त एवं संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि वाकै ग्राम सिणगारा पटवार हल्का सींगला भू०अ०निरीक्षक क्षेत्र थल तहसील रूपनगढ़ में स्थित है जिसके वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमावन्दी अनुसार खाता संख्या नया 451 के ख0न0 187 रकवा 4.1016 है० भूमि है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 8/39 है एवं उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड व नक्शे में सहवन व राजस्व त्रुटि के कारण प्रार्थी की गलत जाति रेगर का अंकन किया हुआ है। जबकि प्रार्थी के द्वारा उपपंजीयक कार्यालय रूपनगढ़ में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 09.10.2020 में बलाई जाति का अंकन किया हुआ है लेकिन राजस्व विभाग द्वारा राजस्व त्रुटि करते हुए बलाई जाति के स्थान पर जाति रेगर का अंकन कर दिया गया। इसलिये प्रार्थी राजस्व रिकार्ड की जमावन्दी व राजस्व नक्शें मे सही एवं वास्तविक जाति बलाई का अंकन करवा कर इन्द्राज दुरूस्ती करवाना चाहता है। प्रार्थी की राजस्व रिकार्ड की जमावंदी व राजस्व नक्शे में प्रार्थी की गलत जाति रेगर का अंकन होने के कारण प्रार्थी कृषि भूमि के विकास करने व राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाली सुविधाएं मुआवजा प्राप्त करने में काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिये उक्त कृषि आराजी में सही व वास्तविक जाति बलाई का इन्द्राज दुरूस्ती करवाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र माननीय में प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थी संख्या 3 भूमिधारी होने प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में गलत इन्द्राज जाति रेगर के स्थान पर बलाई [illegible] आदेश पारित करावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahima Kasana
Date: 2024.12.02 12:28:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी गण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त।अप्रार्थी संख्या 1, 2 स्वयं उपस्थित। प्रकरण में पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से जवाव पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार विक्रय पत्र में दर्ज केता संख्या 2 हरलाल भाम्भी पुत्र प्रेमाराम जाति बलाई निवासी सिणगारा दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 1438 के कॉलम संख्या 8 में दर्ज कमांक 4 पर हरलाल भाम्भी पुत्र प्रेमाराम हि0 8/39 जाति रेगर सा0 देह अंकन दर्ज होकर नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ है। प्रकरण में प्रार्थी की जाति रेगर के स्थान पर जाति बलाई किया जाना उचित ठहराया। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अध्ययन, दस्तावेजों का अवलोकन व वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू –राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम सिणगारा के खाता संख्या नया 451 के ख0न0 187 रकबा 4.1016 है0 में दर्ज नाम हरलाल भाम्भी पुत्र प्रेमाराम हि0 8/39 में दर्ज गलत जाति रेगर के स्थान पर जाति बलाई किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

महिमा कसाना
(आई.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahima Kasana
Date: 2024.12.02 12:28:05 IST
Reason: SelfAttested